पशुपालन निदेशालय, उत्तराखण्ड, मोथरोवाला, देहरादून।

संख्याः 2256/स्था०एक/प०चि०फा०अ०/2026–27 दिनांकः 30 जुलाई, 2026

"विज्ञप्ति"

पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत राजकीय पशुचिकित्सालयों में पशुचिकित्सा फार्मेसी अधिकारी वेतन लेवल–6 (35400–112400) के रिक्त पदों पर चयन हेतु निर्धारित अर्हता/योग्यताधारी अभ्यर्थियों से निम्न प्रारूप पर आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

क्र०सं०	पदनाम	वेतनमान	रिक्त पदों की संख्या
01	पशुचिकित्सा फार्मेसी अधिकारी	वेतन लेवल–6 (35400–112400)	28

<u>रिक्तियों का विवरण एवं क्षैतिज आरक्षण की स्थितिः–</u>

क0 सं0	पदनाम	आरक्षण श्रेणी	रिक्त पद	क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत रिक्त पदों की संख्या						
				उत्तराखण्ड महिला 30%	स्व0सं0 से0 के आश्रित 02%	भूतपूर्व सैनिक 05%	उत्तराखण्ड के अनाथ बच्चे 05%	उत्तराखण्ड के कुशल खिलाड़ी 04%	उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के चिन्हित आन्दोलनकारी या उनके आश्रित 10%	दिव्यांग 04%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	पशुचिकित्सा फार्मेसी अधिकारी	अनारक्षित	22	06	—	01	01	01	02	01 (OA, LC, DW, AAV/AV, LV/PB, AH/PD, OL)
		अनुसूचित जाति	02	01			—	—	—	
		अनुसूचित जनजाति	—	—			—	--	—	
		अन्य पिछड़ा वर्ग	02	01			—	—	—	
		आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	02	—			—	—	--	
		योग	28	08	—	01	01	01	02	01

नोट :–

- रिक्तियों की संख्या घट बढ़ सकती है तथा यह विज्ञप्ति मा०उच्च न्यायालय, नैनीताल में लम्बित रिट याचिका संख्या 1325/एस.एस./2021 प्रेम सिंह बृजवाल व अन्य बनाम राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या 1500/एस.एस./2021 अतुल कुमार शर्मा बनाम राज्य सरकार एवं अन्य, रिट याचिका संख्या 367/एस.एस./2022 रेखा महतोलिया बनाम राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या 1408/एस.एस./2023 शबाना बनाम राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या 29/एस.बी./2023 ज्योति टम्टा बनाम राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या 30/एस.बी./2023 राकेश सिंह रावत बनाम राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या 31/एस.बी./2023 अनिल लाल बनाम राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या 547/एस.बी./2024 अभिषेक बिष्ट बनाम राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या 207/एस.बी./2025 राजीव पंवार बनाम राज्य व अन्य एवं रिट याचिका संख्या 250/एस.बी./2025 [illegible] पाठक बनाम राज्य व अन्य के अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगी।
- उपरोक्त रिक्तियों की गणना शासनादेश संख्या 124/XXX(2)/2020–53(01)/2001 दिनांक 22.05.2020 के द्वारा लागू पद आधारित रोस्टर के अनुसार की गई है।
- दिव्यांगजन हेतु आरक्षित पदों पर चयन की कार्यवाही वर्तमान प्रचलित शासनादेशों के अन्तर्गत की जायेगी।

1. **शैक्षिक योग्यता–**

   (क)उत्तराखण्ड शिक्षा एवं परीक्षा परिषद् या उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद् से विज्ञान विषय के साथ इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता। इसके अतिरिक्त फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया के एजुकेशन रेगुलेशन 1991 फॉर डिप्लोमा कोर्स इन फार्मेसी (एजुकेशन संशोधन रेगुलेशन्स, 1994 द्वारा संशोधित) के उत्तराखण्ड राज्य में लागू होने से पूर्व हाईस्कूल योग्यताधारक भी अर्ह होगें।

   (ख) अभ्यर्थी किसी मान्यता प्राप्त संस्था से फार्मेसी (ऐलोपैथी) में डिप्लोमाधारक होना चाहिये।

2. **अन्य अनिवार्य अर्हताएं–** आवेदन हेतु अभ्यर्थी को निम्नलिखित अर्हताएं भी पूर्ण करना अनिवार्य है :–

   (क) आवेदन के समय अभ्यर्थी को रजिस्ट्रार, उत्तराखण्ड फार्मेसी काउन्सिल में पंजीकृत होना अनिवार्य है।

   (ख) अभ्यर्थी को आवेदन के समय उत्तराखण्ड राज्य में स्थित किसी सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण होना आवश्यक है।

   (ग) आवदेन हेतु वही अभ्यर्थी पात्र होगा, जिसने अपनी हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट अथवा इनके समकक्ष स्तर की शिक्षा उत्तराखण्ड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थाओं से उत्तीर्ण की हो,

   परन्तु

यह कि सैनिक/अर्द्धसैनिक बलों में कार्यरत तथा राज्य सरकार अथवा उसके अधीन स्थापित किसी राजकीय/अर्द्धशासकीय संस्था में नियमित पदों पर नियमित रूप से नियुक्त कार्मिकों एवं केन्द्र सरकार अथवा केन्द्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों में नियमित पदों पर नियमित रूप से उत्तराखण्ड में कार्यरत ऐसे कर्मी जिनकी सेवाएं उत्तराखण्ड से बाहर स्थानान्तरित नही हो सकती हों, स्वयं अथवा उनके पति/पत्नी, जैसी भी स्थिति हो, तथा उनके पुत्र/पुत्री राज्याधीन सेवाओं में समूह 'ग' के सीधी भर्ती के पदों पर चयन हेतु आवेदन के पात्र होंगे,

परन्तु

यह और कि राज्य के स्थायी निवासी जो आजीविका/अध्ययन हेतु उत्तराखण्ड के बाहर निवासरत हैं, के स्वयं अथवा उनके पति/पत्नी, जैसी भी स्थिति हो तथा उनके पुत्र/पुत्री भी समूह 'ग' के सीधी भर्ती के पदों पर आवेदन हेतु पात्र होंगे।

3. **अधिमानी अर्हता**—अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा, जिसने—

(क) राष्ट्रीय कैडेट कोर का **"बी प्रमाण पत्र"** प्राप्त किया हो या

(ख) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 02 वर्ष का सेवा अनुभव हो।

अधिमानी अर्हता भी समान होने पर सम्बन्धित अभ्यर्थियों की जन्मतिथि, जो पहले हो उसको प्रवीणता सूची में ऊपर रखा जायेगा।

4. **आरक्षण**—

(क) ऊर्ध्व आरक्षणः—उत्तराखण्ड के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को राज्य सरकार के शासनादेशों के अनुसार ऊर्ध्व आरक्षण का लाभ अनुमन्य होगा।

(ख) क्षैतिज आरक्षण—क्षैतिज आरक्षण का लाभ नियुक्ति के समय राज्य सरकार के प्रचलित शासनादेशों के अनुसार अनुमन्य होगा। आरक्षण हेतु सम्बन्धित श्रेणी के अभ्यर्थी द्वारा सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र की प्रमाणित छायाप्रति संलग्न की जानी आवश्यक होगी।

5. **राष्ट्रीयता**—

(क) अभ्यर्थी भारत का नागरिक हो या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थाई निवास के अभिप्राय से 01 जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आया हो या

(ग) भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति हो, जिसने भारत में स्थाई निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या केनिया, उगांडा या यूनाईटेड रिपब्लिक ऑन तन्जानिया (पूर्ववर्ती तंगानिका और जंजीवार) के पूर्व अफ्रीकी देश से प्रर्वजन किया हो,

परन्तु उपर्युक्त श्रेणी (ख), (ग) का अभ्यर्थी ऐसा व्यक्ति होना चाहिये, जिसके पक्ष में राज्य सरकार के द्वारा पात्रता प्रमात्र पत्र जारी किया गया हो।

परन्तु यह और कि उपर्युक्त श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस उप महानिरीक्षक, अभिसूचना शाखा, उत्तराखण्ड से पात्रता का प्रमाण पत्र प्राप्त कर लें,

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण पत्र एक वर्ष से अधिक समय के लिए जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में इस शर्त के साथ रहने दिया जायेगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले।

6. **आयुः—01 जुलाई, 2026 को न्यूनतम 18 वर्ष तथा अधिकतम** 42 वर्ष होनी चाहिए। उत्तराखण्ड के आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट अनुमन्य होगी।

7. **चरित्र** :— सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त हो।

टिप्पणी :— संघ सरकार या राज्य सरकार या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्व में या नियंत्रणाधीन किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगे। नैतिक अधमता के अपराध के लिये दोष सिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होगें।

8. **वैवाहिक प्रास्थिति** :— सेवा में किसी पद पर नियुक्त व्यक्ति के लिए ऐसे पुरूष अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा, जिसकी एक से अधिक पत्नियॉ जीवित हों और न ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र होगी जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो जिसकी पहले से कोई पत्नी जीवित रही हो।

9. **शारीरिक स्वस्थ्यता**:— किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तभी नियुक्त किया जायेगा, जब वह मानसिक और शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ हो और ऐसे सभी शारीरिक दोष से मुक्त हो, जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो। चयनित होने पर अभ्यर्थी द्वारा मुख्य चिकित्सा अधिकारी/समकक्ष चिकित्सा अधिकारी से स्वस्थता प्रमाण निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त कर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

10. **शुल्कः—उत्तराखण्ड राज्य के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को रू० 150.00 (एक सौ पचास रूपये) तथा सामान्य श्रेणी/अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को रू० 300.00 (तीन सौ रूपये) आवेदन शुल्क IFMS PORTAL (ई—चालान) के माध्यम से विभागीय राजस्व लेखा शीर्षक 0403—00—800—99—00 में ऑनलाइन जमा करते हुए चालान की सत्यापित प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।**

11. **आवेदन की अन्तिम तिथिः**—आवेदन पत्र केवल **रजिस्ट्रर्ड डाक/स्पीड पोस्ट** से निदेशक, पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड, "प्रशासनिक भवन" मोथरोवाला, पो0आफिस मोथरोवाला, देहरादून के कार्यालय में **दिनांक 12.09.2026 (सांय 05:00 बजे)** तक स्वीकार किये जायेगें, अन्य माध्यमों से एवं उक्त निर्धारित तिथि/समय के पश्चात प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेगें, आवेदन के लिफाफे के शीर्ष भाग पर **"पशुचिकित्सा फार्मेसी अधिकारी के पद हेतु आवेदन पत्र"** अंकित किया जाय।

12. **अभ्यर्थियों का चयनः**— उत्तराखण्ड पशुचिकित्सा फार्मेसिस्ट सेवानियमावली, 2010 एवं उत्तराखण्ड पशुचिकित्सा फार्मेसिस्ट सेवा (संशोधन) नियमावली, 2011 के प्राविधानों के अनुसार चयन किया जायेगा। उक्त प्राविधानों के अनुसार चयन समिति, अभ्यर्थियों की योग्यताक्रम में जैसा कि डिप्लोमा परीक्षा में उनके द्वारा प्राप्त अंकों से प्रकट हो, एक सूची अभ्यर्थियों के डिप्लोमा परीक्षा के उत्तीर्ण वर्षवार तैयार करेगी। पूर्ववर्ती वर्ष की प्रवीणता सूची पूर्णतः निःशेष हो जाने के बाद ही उत्तरवर्ती वर्ष की प्रवीणता सूची से चयन प्रारम्भ किया जायेगा। उक्त प्रक्रिया सम्पूर्ण रिक्तियां भरने तक अनवरत रूप से जारी रहेगी।

13. सामान्य निर्देशः—

(1) आवेदन A4 साईज के पेपर पर किया जायेगा, आवेदन पत्र का प्रारूप पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड की वैबसाईट **www.and.uk.gov.in** से भी डाउनलोड किया जा सकता है। अपूर्ण अस्पष्ट एवं समाचार पत्रों की कटिंग पर प्रस्तुत आवेदन पत्र एवं कोई संलग्नक गलत/अपूर्ण पाये जाने पर आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा।

(2) आवेदन पत्र पर नवीनतम प्रमाणित पासपोर्ट साईज की फोटोग्राफ अवश्य लगायें, अन्यथा आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा।

(3) आवेदन पत्र के साथ आवेदक अपने शैक्षिक/प्राविधिक अर्हता सम्बन्धी प्रमाण पत्रों एवं समस्त अंकतालिकाओं, अधिमानी अर्हता, जन्मतिथि, आरक्षण सम्बन्धी एवं उत्तराखण्ड फार्मेसी काउंसिल में पंजीकरण एवं उत्तराखण्ड राज्य के किसी सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण सम्बन्धी प्रमाण पत्रों की प्रमाणित छायाप्रतियां संलग्न करना अनिवार्य है।

(4) आवेदन पत्र के साथ उत्तराखण्ड फार्मेसी काउन्सिल में पंजीकरण सम्बन्धी वैध प्रमाण पत्र **(नवीनीकरण की दशा में भी पंजीकरण आवेदन की तिथि को वैध होना चाहिए)** की प्रमाणित छायाप्रति अवश्य संलग्न करें तथा आवेदन में पंजीकरण का नम्बर एवं दिनांक अंकित किया जाय, अन्यथा आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा।

(5) आवेदन पत्र के साथ आवेदक, उत्तराखण्ड राज्य में स्थित किसी सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण सम्बन्धी वैध प्रमाण पत्र **(नवीनीकरण की दशा में भी पंजीकरण आवेदन की तिथि को वैध होना चाहिये)** की प्रमाणित छायाप्रति अवश्य संलग्न करें तथा आवेदन पत्र में पंजीकरण कार्यालय का नाम एवं पंजीकरण नम्बर अवश्य अंकित किया जाय। अन्यथा अभ्यर्थी का आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा।

(6) अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि को अवश्य वैध होना चाहिये।

(7) राजकीय सेवा में सेवारत अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र उचित माध्यम से प्रेषित किया जायेगा तथा आवेदन पत्र के साथ नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र भी संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा।

(8) अभ्यर्थी की अर्हता/पात्रता के सम्बन्ध में निदेशक, पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड का निर्णय अंतिम होगा।

निदेशक
पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

''पशुचिकित्सा फार्मेसी अधिकारी के पद हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप''

विभाग का नामः पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड पदनामः पशुचिकित्सा फार्मेसी अधिकारी, विज्ञप्ति सं०: 2256 /दिनांक 30.07.2026

अभ्यर्थी का पासपोर्ट साईज का नवीनतम एवं प्रमाणित फोटो चिपकायें। प्रमाणित इस प्रकार किया जाए कि हस्ताक्षर/मोहर का आधा भाग फोटो पर एवं आधा भाग आवेदन पर हो।

1. **अभ्यर्थी का नाम**
   अ. हिन्दी में (देवनागरी लिपि में) --
   ब. अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में --
2. **पिता/पति का नाम**
   अ. हिन्दी में (देवनागरी लिपि में) --
   ब. अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में --
3. **अभ्यर्थी की जन्मतिथि (हाईस्कूल/हायर सैकेण्डरी प्रमाण पत्र के अनुसार)**
   अ. अंको में : तिथि माह वर्ष
   ब. शब्दों में :--
4. विवाहित/अविवाहितः--
5. **अ. गृह जनपद का नाम** --

   ब. स्थाई पता --

   स. पत्र व्यवहार का पता --

   --पिनकोड------------------

   द. टेलीफोन नं०(एस०टी०डी० कोड सहित)/मोबाईल नं० (यदि हो)------------------------------
6. **अभ्यर्थी की श्रेणी** (गोला बनाकर अंकित करें) (उत्तराखण्ड अनु०जाति/अनु० जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/सामान्य)
7. **क्षैतिज आरक्षण का प्रकार** (गोला बनाकर अंकित करें) (उत्तराखण्ड महिला/स्वतंत्रता संग्राम सैनानी के आश्रित/ भूतपूर्व सैनिक/शारीरिक रूप से दिव्यांग/उत्तराखण्ड के अनाथ बच्चे/उत्तराखण्ड के कुशल खिलाड़ी/उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के चिन्हित आन्दोलनकारी या उनके आश्रित)
8. लिंग (गोला बनाकर अंकित करें) (पुरूष/महिला)
9. नागरिकता ----------------------------
10. शैक्षिक/प्राविधिक अर्हताओं का क्रमवार विवरणः-

क्र० सं०	परीक्षा का नाम	बोर्ड/संस्था/ विश्वविद्यालय का नाम	उत्तीर्ण वर्ष	पूर्णांक	प्राप्तांक	श्रेणी	प्रतिशत
1	हाईस्कूल						
2	इण्टरमीडिएट						
3	फार्मेसी(एलीपैथी)डिप्लोमा (उत्तीर्ण वर्ष के अनुसार)						
4							
5							

(शैक्षिक/प्राविधिक अर्हता सम्बन्धी प्रमाण पत्रों एवं समस्त अंकतालिकाएं, अधिमानी अर्हता, जन्मतिथि, आरक्षण सम्बन्धी, उत्तराखण्ड फार्मेसी काउन्सिल में पंजीकरण एवं उत्तराखण्ड राज्य के किसी सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण सम्बन्धी प्रमाण पत्रों की प्रमाणित छायाप्रतियाँ संलग्न करना अनिवार्य है)

11. अधिमानी अर्हता--
12. उत्तराखण्ड फार्मेसी काउन्सिल में पंजीकरण (रजिस्ट्रेशन) का नम्बर---------------दिनांक-------------
13. राज्य में सेवायोजन कार्यालय (जहां पंजीकरण किया गया है) का नाम ----------पंजी०सं०/तिथि---------
14. आवेदन का शुल्क का विवरण (धनराशि)----------,(ऑनलाइन चालान नं०----------तिथि-----------

सामान्य निर्देश :–

(1) आवेदन ए–4 साईज के पेपर पर स्वच्छ एवं स्पष्ट अक्षरों में अभ्यर्थी द्वारा स्वयं भरा जाय।

(2) राजकीय या अर्द्धसरकारी सेवा में कार्यरत कार्मिकों द्वारा अपना आवेदन उचित माध्यम से (नियुक्ति प्राधिकारी के अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित) संलग्न करें।

(3) क्या आपको कभी किसी सरकारी/अर्धसरकारी सेवा में डिबार किया गया है ? (हां/नहीं)

(4) क्या आपको कभी किसी सक्षम न्यायालय द्वारा नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिये दोषी ठहराया गया है? (हां/नहीं)

''घोषणा''

मैं एतदद्वारा घोषित करता/करती हूँ कि उपरोक्त उल्लिखित समस्त सूचनायें सत्य हैं। मैंने विज्ञप्ति की सभी पात्रता शर्तों को सावधानीपूर्वक पढ़ा है। मैंने प्रस्तुत विवरण/सूचनाओं में कोई तथ्य नहीं छुपाया है। यदि मेरे द्वारा दी गई सूचना गलत, असत्य पायी जाएं, तो मेरे विरूद्ध कोई कानूनी कार्यवाही किये जाने/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने या नियुक्ति के उपरान्त सेवा समाप्त किये जाने पर मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। इसके लिए मैं स्वयं पूर्णरूप से उत्तरदायी रहूंगा/रहूंगी।

संलग्नकों की कुल संख्या (   ) एवं विवरण :–

1.	2.
3.	4.
5.	6.
7.	8.
9.	10.
11.	12.
15.	14.

(अभ्यर्थी के हस्ताक्षर)

अभ्यर्थी का नाम ....

पिता/पति का नाम...

पत्र व्यवहार का पता...

दिनांकः...................................स्थानः.......................................